

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

क्रमांक पं. 1(34)साप्र/5/2019(1)

जयपुर, दिनांक:

14.8.19

आदेश

राजस्थान राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों को उनके एक सहयोगी अथवा एक परिवारजन के साथ यात्रा करने पर एक बार में 3 दिवस तथा माह विशेष में 5 दिवस तक राजस्थान स्थित समस्त सर्किट हाउसेज एवं राजस्थान हाउस, नई दिल्ली में ग्रुप-ए/राजकीय कैटेगरी (अ)(1) की दर पर आवास/भोजनादि की सुविधा (वाहन चालक साथ होने पर उसे भी इन्हीं दरों पर आवास (एनेक्सी)/भोजनादि की सुविधा) उपलब्ध कराई जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,



14.8.19

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त सचिव (जीबी), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके आई.डी. क्रमांक एफ 19002959 दिनांक 09.08.2019 के क्रम में।
2. निजी सचिव, वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. सहायक शासन सचिव, साप्र (ग्रुप-6) विभाग।
8. समस्त प्रबंधक, विश्राम भवन, राजस्थान।
9. प्रबंधक, राजस्थान हाउस, नई दिल्ली।
10. रक्षित पत्रावली।



14.8.19

संयुक्त शासन सचिव